भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 549

उत्तर देने की तारीख 03 दिसंबर, 2025 (बुधवार)

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधि

549. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर पूर्वी (एनई) राज्यों में से किसी भी राज्य में निधि का अल्प उपयोग हुआ है या व्यय में चूक हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके क्या कारण बताए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रबंधन और निगरानी तंत्र को मजबूत करने हेतु कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में परियोजनाओं की निधि संवितरण दक्षता और परिणाम-आधारित निगरानी में सुधार हेतु आरम्भ किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) संशोधित अनुमान बजट आंकड़ों के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित स्कीमों के तहत कुल 15905.86 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं:

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए के लिए प्रधानमंत्री उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन)
(ii) पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की स्कीमें
(iii) उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (सड़क अवसंरचना के अतिरिक्त)
(iv) उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (सड़क)
(v) विशेष विकास पैकेज (एसडीपी)
(vi) उत्तर पूर्व उद्यमी विकास स्कीम (एनईईडीएस)

पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इन स्कीमों के तहत राज्यवार जारी की गई निधि नीचे दी गई सारणी में है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधि (करोड़ रू. में)
1	अरुणाचल प्रदेश	1203.00
2	असम	2306.34
3	मणिपुर	717.62
4	मेघालय	1231.93
5	मिजोरम	809.49
6	नागालैंड	1137.34
7	सिक्किम	763.93
8	त्रिपुरा	702.90
9	केंद्रीय एजेंसी	996.22
	कुल	**9868.77**

विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, इन स्कीमों के तहत राज्यों ने 62% निधि का इस्तेमाल किया है।

राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ मांग पत्र को पूर्वोत्तर विकास सेतु (पीवीसी) पोर्टल पर अपलोड करने के बाद निधि जारी करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाती है।

राज्य सरकार को निधि जारी करना राज्यों की मांग, राज्यों द्वारा क्रियान्वयन की वित्तीय और भौतिक प्रगति के साथ-साथ उन्हें पहले जारी निधि के उपयोग पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कार्य के अनुकूल मौसम छोटा होने, भूमि की उपलब्धता, कठिन भौगोलिक स्थिति, निर्माण हेतु सामग्री की आपूर्ति में बाधाएं कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे पूर्वोत्तर राज्यों में निधि की उपयोगिता की गति धीमी होती है।

(घ) वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए, पीवीएस (पूर्वोत्तर विकास सेतु) पोर्टल बनाया गया है जिसमें एक मांग अनुरोध मॉड्यूल है जिसमें चल रही परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने के लिए मांग अनुरोध प्रस्तुत करने का प्रावधान है, साथ ही राज्य सरकार/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र और पूर्णता प्रमाण-पत्र (कंपलीशन सर्टिफिकेट) अपलोड करने का प्रवाधान भी है। चल रही परियोजनाओं की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए परियोजना गुणवत्ता मॉनिटर्स प्रणाली/थर्ड पार्टी तकनीकी निरीक्षण शुरू किए गए हैं। मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य में उत्तर पूर्व वित्तीय विकास संस्थान के जरिए एक फील्ड लेवल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (एफटीएसयू) भी बनाई है। एफटीएसयू नियमित तौर पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के साथ संपर्क कर रही हैं, इन परियोजनाओं का डेटाबेस का रखरखाव और इन्हें अपडेट कर रही हैं, नियमित तौर पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को फीडबैक दे रही हैं जिसमें किसी भी बाधा का उल्लेख होता है, आदि। एफटीएसयू फील्ड निरीक्षण भी करती हैं और चल रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए नियमित तौर पर राज्य योजना विभाग के अधिकारियों से मिलती हैं। एफटीएसयू द्वारा साइट निरीक्षण के दौरान चल रही परियोजनाओं की नवीनतम तस्वीरें मोबाइल

एप्लिकेशन के जरिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के परियोजना प्रबंधन प्रणाली - गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।

(ङ) निधि वितरण क्षमता को बेहतर बनाने और तेज़ी से व्यय और उपयुक्त निगरानी के बीच संतुलन बनाने के लिए, मंत्रालय की अलग-अलग स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की राशियां अब 25% की चार समान किस्तों में जारी की जाती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अलग-अलग स्कीमों के तहत परियोजनाओं की आउटकम-आधारित निगरानी, नीति आयोग के आउटपुट-आउटकम निगरानी फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के तहत कवर की जाती है और नीति आयोग को नियमित रूप से रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं।

*****